न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–63/2018
CIS NO. 549/2018

म0 हसमुद्दीन.....वादी

बनाम

संतोष प्रसाद.....प्रतिवादी

06.12.2021 उभय पक्ष की पैरवी है। आवेदकगण सलेहा खातून एवं अन्य की ओर से एक आवेदन दिनांक 27.10.21 अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादी की ओर से दिनांक 06.12.2021 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

आवेदकगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद मूल वादी म0 हसमुद्दीन द्वारा दाखिल किया गया है जिनकी मृत्यु दिनांक 24.04.2021 को हो गई है। वे अपने पीछे अपनी विधवा सलेहा खातून 3 पुत्र व एक पुत्री रूबी खातून को छोड़ गए हैं। यह कि वादी की मृत्यु कोरोना काल में हुई है जिस कारण आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन समय से दाखिल नहीं हो सका तथा आवेदकगण द्वारा जान बूझकर विलंब नहीं किया गया है। अतः वादी म0 हसमुद्दीन का नाम वादपत्र से विलोपित कर उसके स्थान आवेदकगण का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

इस संबंध में प्रतिवादी का कहना है कि आवेदकगण का आवेदन कानून व तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि म0 हसमुद्दीन की मृत्यु दिनांक 24.04.2021 को ही हो गई, लेकिन आवेदन 6 माह बाद दिया गया है, लेहाजा वाद स्वतः उपसम्मित हो चुका है। आवेदकगण आदेश 22 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रावधानों को दरकिनार कर न्यायालय को अंधकार में रखकर मुकदमा में पक्षकार बनना चाहते हैं जो कानून के खिलाफ है। अतः आवेदकगण का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी म0 हसमुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को विधिक वारिसान के रूप में छोड़ गए हैं। अतः न्याय हित में आवेदकगण का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से वादी का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदकगण का नाम प्रतिस्थापित करें तथा यदि वादी के विरूद्ध कोई उपसमन हुआ है तो उसे अपास्त किया जाता है। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 13.01.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)